न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– संजय कुमार बनाम बाबूलाल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 29 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि ग्राम बगड़ियों का बास प0ह0 डूकिया तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 501,502,507 कुल किता 3 कुल रकबा 2.5400 है0 अवस्थित है। प्रति0सं0 1 ता 4 की संयुक्त पैतृक कृषि आराजी है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का जांयदा पुत्र है, हिन्दू विधि में पैतृक संपदा में व्यक्ति का जन्म से ही हिस्सा निहित हो जाता है। इस प्रकार से अप्रार्थी सं0 1 के 1/4 हिस्से की भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित है। प्रार्थी प्रति0सं0 1 बाबूलाल का जांयदापुत्र है तथा प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं0 1 की विवाहिता पत्नी है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी 1/4 हिस्से में से हिस्सा है। प्रार्थी की माता को अप्रार्थी सं0 1 व उसके परिजनों द्वारा शराब पीकर आये दिन मारपीट करता है व घर से निकाल देने की धमकी देता व संपत्ति से बेदखल करने की चेतावनी देता है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 वादी को उसके पैतृक हिस्से से वंचित करने के लिए विवादित भूमि को खुर्द बुर्द विक्रय अन्यथा अन्तरण करना चाहते है। अप्रार्थीगण अगर प्रार्थी को उसके हिस्से का खातेदार उद्घोषित किये बगैर अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को सदा सदा के लिए अपनी पैतृक संपदा से वंचित हो जायेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी की माता ने अप्रार्थी सं0 1 ता 4 से बातचीत की व प्रार्थी का हक हिस्से की मांग की तो उन्होंने एक इंच भी जमीन देने से इंकार कर दिया। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 212 रा0का0अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि विवादित कृषि भूमियां प्रति0सं0 1 ता 4 की संयुक्त पैतृक भूमियां है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का जांयदा पुत्र है, हिन्दू विधि में पैतृक संपदा में व्यक्ति का जन्म से ही हिस्सा निहित हो जाता है। प्रार्थी द्वारा जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता के जरिये दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया है। अप्रार्थीगण बाबजूद रजिस्टर्ड सूचना हाजिर नहीं आए है। पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।	

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 501 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0 कुंआ, भूमि ख0नं0 502 रकबा 2.4300 है0 ख0नं0 507 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.5400 है0 राजस्व ग्राम बगड़ियों का बास प0ह0 डूकिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ़,सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर